रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 जून, 2004/31 ज्येष्ठ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 8 जून, 2004

संख्या पी0सी0एच0-के0 जी0 आर0-ई (9) 14/91-2892-98.—क्योंकि श्री बृजभूषण, प्रधान, ग्राम पंचायत मच्छोट, विकास खण्ड फतेहपुर के विरुद्ध श्री रघुनाथ, निवासी जखाबड़ द्वारा शिकायत की गई थी कि श्री बृजभूषण, प्रधान, ग्राम पंचायत मच्छोट द्वारा वर्ष 1985-86 से सरकारी भूमि खसरा नं0 40-000-24, 41-002-62 व 42/2, 0-06-06 रकबा मुहाल मच्छोट, मौजा अनोह पर अवैध कब्जा कर रखा है।

क्योंकि उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या पंच-के0 जी0 आर0-ई (9) 14/91-5389, दिनांक 21-8-2003 को प्रधान, ग्राम पंचायत मच्छोट को अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके उत्तर में प्रधान, ग्राम पंचायत मच्छोट ने उक्त भूमि पर उसका कब्जा न होने का उल्लेख किया है तथा इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार फतेहपुर द्वारा करवाई गई। तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा अभी भी उक्त भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है, की पुष्टि होती है। इस कारण से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (सी) के अन्तर्गत श्री बृजभूषण, प्रधान, ग्राम पंचायत मच्छोट के पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए हैं।

603-राजपत्र/2004-21-6-2004—1,410. मूल्य : 1 रुपया।

अतः मैं, श्रीकान्त बाल्दी (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान, ग्राम पंचायत मच्छोट, विकास खण्ड फतेहपुर के पद को तत्काल प्रभाव से रिक्त घोषित करता हूं ।

श्रीकान्त बाल्दी,
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 3 जून, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) जी0 पी0 लोट/2000-1027-30.—ग्राम पंचायत लोट, विकास खण्ड, निरमण्ड के प्रधान श्री तारा चन्द के विरुद्ध गांव पानवी, डावर व ध्वांश, के निवासियों द्वारा प्रेषित एक शिकायत पत्र महानिदेशक, (सतर्कता), शिमला के माध्यम से निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0 को प्राप्त हुआ है । शिकायत पत्र में उद्धृत आरोपों की जांच उप-नियन्त्रक पंचायती राज विभाग द्वारा 14 दिसम्बर, 2003 को पंचायत मुख्यालय, लोट में की गई तथा सम्बन्धित विकास निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया जिन पर आधारित आरोपों का उल्लेख शिकायत पत्र में किया गया है । उक्त जांच के निष्कर्ष पर आधारित जांच रिपोर्ट से निम्न आरोपों की पुष्टि हुई है :—

1. यह कि ग्राम पंचायत लोट, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू, को गुरु रविदास योजना के अन्तर्गत गांव पानवी वाया ध्वांश रास्ते को पक्का करने हेतु मु0 3,00,000/- रुपये की राशि खण्ड विकास अधिकारी निरमण्ड द्वारा स्वीकृत की गई है जिस में से 2,94,000/- रुपये ग्राम पंचायत को प्राप्त हो चुके हैं । उक्त कार्य के मूल्यांकनानुसार 1550 मीटर पक्के रास्ते का निर्माण किया जाना था जिसके लिए मु0 3,70,990/- रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया था । विकास खण्ड निरमण्ड में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उपरोक्त कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर 11 मीटर रास्ते की ड्रेसिंग, 1100 मीटर रास्ते की सोलिंग व 885 मीटर रास्ते के पूर्ण रूप से पूर्ण हुआ माना है तथा निर्माण कार्य पर 581 बैग सिमेंट, 764 बैग रेत, 51 चट्ठे पत्थर व 1925 बैग बजरी का प्रयोग में लाया गया दर्शाया गया है । निर्माण कार्य के लिए बनाए गए प्राकलन में 1:3:6 के अनुपात में सिमेंट, रेत व बजरी के प्रयोग का प्रावधान है । ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य में प्रयोग लाई गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित व्यय रसीदों की जांच से ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग में लाई गई निर्माण सामग्री कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मूल्यांकित निर्माण सामग्री की खपत व प्राकलनानुसार जितनी निर्माण सामग्री का प्रयोग होना था, में भारी भिन्नता है । यह अन्तर निम्न विवरणिका में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ।

विवरणिका

अनुमोदित प्राक्कलनानुसार निर्धारित अनुपात 1:3:6		पंचायत रिकार्डानुसार उपयोग किए गए सीमेंट, रेत व बजरी की स्थिति	मूल्यांकन रिपोर्टानुसार उपयोग की गई सामग्री
614 बैग सीमेंट, M3 रेत, बजरी M3 पत्थर M3 (1749 बैग रेत 3498 बैग बजरी लगभग)	65.56 131.13 279.00	296 बैग सिमेंट, 1064 बैग रेत, 2548 बैग बजरी व पत्थर 51 चट्ठे	581 बैग सीमेंट, रेत 21.64 M3 बजरी 72.16 M3, पत्थर 110.16 M3 (764 बैग रेत, 1925 बैग बजरी लगभग तथा पत्थर 51 चट्ठे)

उपरोक्त दशाई विवरिणका से स्पष्ट हो जाता है कि सिमेंट, रेत व बजरी के अनुपात में साम्यता न होकर भारी अन्तर है जो कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता/स्तर व इस निर्माण कार्य पर व्यय अनुदान राशि के सदुपयोग को संदिग्ध बनाता है । उक्त निर्माण कार्य का निष्पादन क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत की देख-रेख में हुआ है तथा निर्माण सामग्री जो ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई है उसके लिये प्रधान ग्राम पंचायत पूर्णतः उत्तरदायी है। पंचायत द्वारा उक्त कार्य के लिए क्रय निर्माण सामग्री सम्बन्धी व्यय रसीदें विश्वसनीय नही जान पड़ती हैं ।

2. यह कि जांच अवसर पर जांच अधिकारी द्वारा विकास खण्ड कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता व नकनीकी सहायक से करवाई गई पैमाईश के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए :—

दूरी रास्ता पानवी से डावर वाया ध्वांश	1903 मीटर
निर्माण पक्का रास्ता	945 मीटर
कच्चा रास्ता जिस पर केवल सोलिंग पाई	12 मीटर
रास्ता जो कच्चा छोड़ा गया	946 मीटर
रास्ता जो पक्का बनाया की चौड़ाई	0.70 मीटर
डाली गई कंकरीट की मोटाई	0.060 मीटर

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पक्का रास्ता पानवी, डावर वाया ध्वांश जिसका निर्माण गुरु रवि दास योजना के अन्तर्गत किया जाना था, की कुल लम्बाई 1903 मीटर जिस में से केवल 945 मीटर रास्ता ही पक्का निर्मित है। इस पक्के रास्ते का स्थलीय निरीक्षण करने पर भी निर्माण कार्य असन्तोषजनक तथा घटिया स्तर का पाया गया । रास्ता अभी से टूट रहा है तथा बीच-बीच में कच्चा छोड़ा गया है। रास्ता जहां पक्का बनाया गया है उस की चौड़ाई 0.70 मीटर व मोटाई 0.060 मीटर है जबकि मूल्यांकन रिपोर्टानुसार चौड़ाई 0.90 मीटर व मोटाई 0.075 मीटर बताई गई है। यह भिन्नता निर्माण कार्य में हुई गम्भीर अनियमितताओं की ओर स्पष्ट संकेत करती है जिसका पूर्ण दायित्व प्रधान, ग्राम पंचायत लोट पर है ।

3. यह कि जांच अवसर पर पंचायत अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु पंचायत द्वारा 296 बैग सीमेंट क्रय किया है जबकि सीमेंट क्रय स्थल से पंचायत मुख्यालय व निर्माण स्थल तक सीमेंट की ढुलाई केवल 281 बैग सीमेंट ही दर्शाया गया है अर्थात् पंचायत व्यय रसीद संख्या 39 के अन्तर्गत जो मु0 2850/- रुपये से 15 बैग सीमेंट क्रय किया दर्शाया गया है, वास्तव में क्रय ही नहीं किया गया है । यदि इन 15 बैग सीमेंट का क्रय किया गया होता तो इसके ढुलान पर व्यय होना स्वाभाविक था । इस प्रकार उक्त 15 बैग सीमेंट की खरीद की ही नहीं गई अथवा यह क्रय करने के उपरान्त निर्माण स्थल तक लाया ही नहीं गया है । दोनों स्थिति में प्रधान ग्राम पंचायत मु0 2850/- रुपये की पंचायत राशि के छलहरण के दोषी हैं ।

4. यह कि रास्ता पानवी, डावर व धवांश के निर्माण हेतु 10 ट्रक रेत क्रय किया दर्शाया गया है इन में से पंचायत व्यय रसीद संख्या 41 के अन्तर्गत अदायगी बाबत क्रय रेत 3 ट्रक मु0 7500/- रुपये दर्शाई गई है परन्तु 3 ट्रक रेत का डलवान सड़क (रोड़ हैड) से कार्य स्थल तक का पंचायत अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि यह 3 ट्रक रेत क्रय ही नहीं किया गया है । इस प्रकार यह प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा मु0 7500/- रुपये के छलहरण का मामला है।

5. यह कि उक्त जांचाधीन निर्माण कार्य हेतु विकास खण्ड कार्यालय से 12,420/- रुपये का खाद्यान्न (चावल) पंचायत को मजदूरों/कामगारों में वितरण हेतु प्राप्त हुआ परन्तु ग्राम पंचायत के खाद्यान्न स्टाक रजिस्टर में इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ही खाद्यान्न प्राप्ति की प्रविष्टि पंचायत के रोकड़ में की गई है इस प्रकार मु 12,420/- रुपये के खाद्यान्न के समतुल्य राशि का छल हरण किया गया है।

6. यह कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ऊपर वर्णित निर्माण कार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट में 764 बैग रेत का ढुलान मु0 19,100/- रुपये दर्शाया गया है जबकि ग्राम पंचायत के लेखा अभिलेख के अनुसार इसी निर्माण

कार्य के लिए खरीद 1064 बैग रेत की ढुलाई हेतु 26,539/- रुपये व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन को आधार माने तो मु0 7439/- रुपये रेत के ढुलवान के अधिक व्यय के रूप में दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 300 बैग रेत क्रय पर मु0 5000/- रुपये अधिक दर्शाया गया है। यह पुनः मु0 12,439/- रुपये पंचायत राशि के छलहरण का मामला स्पष्ट होता है जिसके लिए प्रधान ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

पूर्व इसके कि उपरोक्तानुसार वर्णित आरोपों के दृष्टिगत प्रधान, ग्राम पंचायत लोट, विकास खण्ड निरमण्ड के विरुद्ध हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाये, मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त, जिला कुल्लू एतद् द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत लोट को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिन के भीतर-भीतर आरोपों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें। नियत अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें ऊपर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में हि0प्र0 पचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसरण में नियमाधीन आगामी कार्रवाई आरम्भ कर दी जाएगी।

कुल्लू, 3 जून, 2004

संख्या पी0 सी0 एम0(कु0)ए-10-पं0-को0-2004-1031-34.—उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोट सहित ग्राम वासियों द्वारा श्रीमती चन्द्र कांता, प्रधान ग्राम पंचायत कोट के विरुद्ध शिकायत निदेशक, पंचायती राज विभाग को प्रेषित की गई है। शिकायत पत्र में उद्धृत आरोपों की जांच उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण), पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 11, 12-12-2003 को मुख्यालय, ग्राम पंचायत कोट में की गई है। उक्त जांच से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट में उल्लेखित निष्कर्षों के आधार पर निम्न आरोप प्राथमिक दृष्टि में सही पाए गए हैं :—

1. प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11-5-2003 को ग्राम सभा की बुलाई गई बैठक में नियमानुसार आहार्य संख्या पूर्ण नहीं थी आहर्य संख्या पूर्ण न होते हुए भी प्रधान ग्राम पंचायत जो बैठक की अध्यक्षता के लिए उक्त दिन उपस्थित थी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मात्र 70-72 ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति में अनियमित रूप से बैठक की कार्यवाही करते हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में लेखबद्ध किए गए हैं। इन प्रस्तावों के माध्यम से वित्त आयोग से प्राप्त विकासात्मक अनुदान के अन्तर्गत करवाई जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन तथा बुढ़ापा पैन्शन के लिए लाभार्थियों के चयन सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित दर्शाए गए हैं। यह गम्भीर अनियमितता का मामला ही नहीं अपितु प्रधान ग्राम पंचायत के पद का दुरुपयोग भी है। जांच अवसर पर उपस्थित ग्राम पंचायत सदस्यों तथा पंचायत सहायक द्वारा अपने लिखित ब्यान में पुष्टि की है कि प्रधान ग्राम पंचायत ने आहार्य संख्या पूर्ण न होने पर जाली हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर में करवाकर आहार्य संख्या पूर्ण दर्शाने का अनिमित प्रयास किया है कि प्रधान ग्राम पंचायत का उक्त कृत्य इस सन्देह के लिए पुष्ट आधार प्रस्तुत करता है कि प्रधान ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा सदस्यों को ग्राम सहमति लिए बिना अपनी इच्छा अनिच्छा के आधार पर उक्त कार्यक्रमाधीन व्यक्तियों का चयन किया अथवा योजनाएं चयनित की है। इस प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत ने अनियमित रूप से कार्यवाही कर अपने पद का दुरुपयोग करने के साथ-साथ ग्राम सभा जैसी प्रतिष्ठित पंचायती राज संस्था के वैधानिक अधिकारों का हनन किया है।

2. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 8-11-2001 के अन्तर्गत निर्माण सोर्स टैंक पेयजल योजना अगंतुआ हेतु मस्ट्रोल (अवधि 1-11-2001 से 9-12-2001 तक) श्रीमती देवा देवी, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत कोट के नाम जारी किया गया परन्तु इस योजना का

कार्यान्वयन पंचायत सदस्य द्वारा न करना कर प्रधान ग्राम पंचायत ने इस कार्य को करवाया। इस तथ्य की स्विकारोक्ति प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा जांच अवसर पर लेखबद्ध कराए अपने ब्यान में भी की है यह निर्माण कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निष्पादित दर्शाया गया है तथा इस पर मु0 8483/- रुपये की मजदूरी 11,497/- रुपये निर्माण सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। उप-प्रधान व श्रीमती देवा देवी सदस्य वार्ड अगंतुआ द्वारा जांच अवसर पर लेखबद्ध ब्यान में स्पष्ट किया है कि यह कार्य सिचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित किया है जबकि सम्बन्धित विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने लिखित ब्यान में उक्त कार्य का क्रियान्वयन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया बताया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा गत वर्ष इसकी मुरम्मत की गई बताई गई है। अपने ब्यान में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रधान ग्राम पंचायत के आग्रह पर उनके विभाग के एक फीटर द्वारा जो उसी गांव से सम्बन्ध रखता है उक्त योजना के पाईपों की फिटिंग की गई है परन्तु इस पर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सिचाई विभाग का कोई व्यय नहीं हुआ है। जांच अवसर पर ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण सामग्री 20-11-2001 को विभिन्न स्थान जैसे रामपुर, पिपल-हट्टी तथा बागीपुल से क्रय की गई है। परन्तु इन स्थानों से ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा निर्माण स्थल तक निर्माण सामग्री की ढुलाई का किराया निर्माण सामग्री के उतराई व लदान का व्यय नहीं दर्शाया गया है जो इस सन्देह को पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है कि पंचायत का मस्टोल मु0 8483/- रुपये अवधि 11-11-2001 से 9-12-2001 तथा निर्माण सामग्री पर पंचायत रोकड़ के अनुसार व्यय मु0 11,497/- रुपये सम्बन्धी रसीदें जाली हैं। फर्जी रूप से संधारित की गई है। जैसा कि ऊपर वर्णित है, निर्माण सामग्री 20-11-2001 को क्रय की गई है। जबकि ऊपर वर्णित मस्टोल के अनुसार निर्माण कार्य 11-11-2001 से आरम्भ हुआ दर्शाया गया है। बिना निर्माण सामग्री के दिनांक 11-11-2001 से 20-11-2001 तक इस कार्य पर दर्शाए गए मजदूरों तथा मिस्त्री के कार्य का क्या औचित्य है। इस कार्य पर 130 बैग बजरी, 915 बैग सीमेंट का उपयोग दर्शाया गया है परन्तु क्रय निर्माण सामग्री में रेत का कोई उल्लेख नहीं है, बिना रेत के सीमेंट तथा बजरी का उपयोग अविश्वसनीय है। अतः ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में निर्माण स्त्रोत टैंक पेय जल योजना अगंतुआ पर ग्राम पंचायत द्वारा दर्शाया गया व्यय सन्देह की परिधि में आता है। इस प्रकार यह मु0 19,980/- रुपये की पंचायत राशि के छलहरण का स्पष्ट मामला बनता है।

3. जांच अवसर पर ग्राम पंचायत कोट के अभिलेख की जाँच करने पर प्रधान ग्राम पंचायत के विरुद्ध इस आरोप की पुष्टि हुई कि ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में प्रयोग लाई गई रेत स्थानीय दरों से अधिक दर पर क्रय की गई है। विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों पर प्रयोग में लाए गए सीमेंट के अनुपात में रेत की खपत बहुत अधिक दर्शाई गई है जो तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा गत दो वर्षों में अनुदान राशि से विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन में उपयोग में लाए गए सीमेंट व रेत का विवरण पंचायत अभिलेख अनुसार निम्नत: है :—

विवरणिका-1

क्रम सं0	कार्य का नाम	गाड़ी	क्रय रेत	क्रय सीमेंट
1	2	3	4	5
1.	प्रा0 पाठशाला भेखवा	6	2200, 2200, 2600, 2500, 2700	77
2.	प्रा0 पाठशाला पकौरा	2	2600, 2700	37
3.	नि0 सराय कोट	1	2400	30
4.	गांव देथवा की गलियों को पक्का करना।	2	2000, 2000	30

1	2	3	4	5
5.	प्रा0 पाठशाला व्यूणी	1	2000, 2000, 2400, 2400, 2600, 2400, 2500.	95
6.	सामूदायिक भवन भेखवा	1	2700	20
7.	वांशिग प्लेट फार्म श्लोग	1	2700	20
8.	सराय निर्माण मूल	1	2700	20
9.	खेल मैदान पकोरा	1	2700	15
10.	पक्का रास्ता कलारस नगाह	2	2600, 2600	40
11.	रिटेनिंग वालप ठशाला व्यूणी	1	2220	15
12.	पक्का रास्ता व्यूणी	2	2600, 2300	35
13.	पक्का रास्ता जोवा	1	2700	42

उपरोक्त विवरणिका के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि रेत की दरों में असमानता है । स्थानीय दर के अनुसार मु0 1800/- रुपये (150 फुट) प्रति गाड़ी है । स्थानीय दर में मु0 200 रुपये प्रति ट्रक की दर से वृद्धि करने पर मु0 2000/- रुपये प्रति ट्रक (150 फुट) रेत की दर से ऊपर दिये विवरण के दृष्टिगत कुल क्रय रेत के व्यय क्रय पर हुए व्यय की गणना करें तो भी ग्राम पंचायत द्वारा मु0 12,600/- रुपये अधिक व्यय दर्शाया गया है । ऊपर दिए विवरण से इस आरोप की पुष्टि होती है कि पंचायत द्वारा क्रय किए गए रेत के अनुपात में सीमेंट की खपत में भारी असमानता है जो तकनीकी मानकों की कसौटी में किसी भी स्थिति में सही नहीं है । पक्का रास्ता जोवा के लिए 3:57, प्राथमिक पाठशाला व्यूणी हेतु 11.05, प्राथमिक पाठशाला भेखवा में 11.70, खेल मैदान पकोरा के 10 के अनुपात में एक बैग सीमेंट के साथ रेत लगाई गई है जो विश्वसनीय नहीं जान पड़ती है । उपरोक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रधान ग्राम पंचायत की देख-रेख में हुआ है तथा निर्माण कार्यों के लिए क्रय निर्माण सामग्री की व्यय रसीदें प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित है । सन्देह है कि उक्त पंचायत पदाधिकारी द्वारा निर्माण सामग्री की व्यय रसीदें पंचायत में प्रस्तुत की हैं, वे सत्य तथा वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं हैं ।

पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख की जांच के अनुसार प्रधान ग्राम पंचायत के पास मु0 9700 रुपये निम्न विवरणिका अनुसार अनियमित रूप से शेष अग्रिम राशि के रूप में रहे हैं :

विवरणिका-2

नाम कार्य जिसके लिए अग्रिम राशि दी है	बाऊचर संख्या व रोकड़ पृष्ठ	दी गई राशि	वापिस राशि व दिनांक	बकाया
सराय निर्माण नाग मन्दिर	45/87	10000	6250/3-1-2002	3750
रा0 प्रा0 पा0 पकोरा	53/90	10000	5000/20-12-2002	5000
रा0 प्रा0 पा0 भेखवा	105/3	25000	24050/10-2-2002	950
			कुल योग ..	9700

उपरोक्त विवरणिका में दर्शाये निर्माण कार्य यद्यपि पूर्ण हो चुके हैं फिर भी प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा इन कार्यों के निष्पादन हेतु ली गई अग्रिम राशियों का पुर्ण रूपेण समायोजन न करवाना अनियमित तथा पद के दुरुपयोग का गम्भीर मामला है इसके अतिरिक्त जांच दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 को प्रधान के हाथ मु0 12,316/- रुपये नकद शेष के रूप में पाए गए जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा संपरीक्षा, कराधान तथा भत्ता नियम 10 की गम्भीर उल्लंघना है । नकद शेष मु0 12,316/- रुपये तथा उपरोक्तानुसार अग्रिम राशियों की शेष राशि मु0 9700/- रुपये अर्थात् कुल राशि मु0 22,016/- रुपये प्रधान ग्राम पंचायत से बैंक ब्याज दर सहित वसूली योग्य शेष है ।

5. जांच के निष्कर्ष के आधार पर शिकायतकर्ता की यह शिकायत कि सामूदायिक भवन, भेखवा व राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवन, भेखवा का निर्माण कार्य तकनीकी दृष्टि से अपेक्षित स्तर का नहीं है, सत्य प्रतीत होती है । प्राथमिक पाठशाला भेखवा का जो एक कमरा निर्मित है, को डी0 पी0 ई0 पी0 शीर्ष के अन्तर्गत निर्मित स्कूल भवन के साथ जोड़ा गया है । लैन्टिल सामने की ओर 1.5 फुट कम डाला गया है तथा लैन्टिल की मोटाई भी एक इंच कम है । फर्श भी 1.5 फुट आगे की ओर कम डाला गया है । लैन्टिल में पानी का रिसाव निर्माण कार्य के निम्न स्तर की पुष्टि करता है जिसके लिए प्रधान ग्राम पंचायत निर्माण कमेटी के सदस्यों सहित पूर्ण रूप से उत्तरदायी है ।

पूर्व इसके कि उपरोक्तानुसार वर्णित आरोपों के दृष्टिगत प्रधान ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड निरमण्ड के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाए, मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त, जिला कुल्लू एतद्द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत, कोट को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर आरोपों के सन्दर्भ में अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें । नियत अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें ऊपर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है । ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसरण में नियमाधीन आगामी कार्रवाई आरम्भ कर दी जाएगी ।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त,
जिला कुल्लू,
हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायक्त, मण्डी जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

अधिसूचना

मण्डी, 15 जून, 2004

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-2095-2101.—यतः जिला मण्डी की पंचायत समिति, करसोग के उपाध्यक्ष का पद जो अविश्वास प्रस्ताव के फलस्वरूप रिक्त हुआ था, हेतु दिनांक 31-5-2004 को सम्पन हुये निर्वाचन के फलस्वरूप श्री छयाल सिंह, निर्विरोध निर्वाचित हुए तथा निर्वाचन परिणाम प्राधिकृत अधिकारी [उप-मण्डल अधिकारी (ना0), करसोग] द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 8 के प्ररूप-42 पर घोषित किया जा चुका है ।

अतः मैं अली रजा रिजवी, उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 124 के अनुसरण में जिला मण्डी की पंचायत समिति, करसोग के उपाध्यक्ष का नाम व पता निम्न प्रकार से अधिसूचित करता हूं :—

क्रम सं0	नाम	पता
1	श्री छयाल सिंह सुपुत्र श्री आदम राम	गांव बाग, वखारी, डाकघर माहूनाग, तहसील करसोग जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

अली रजा रिजवी,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 14 जून, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-4864-69.—एतद्द्वारा श्री केशव राम, सदस्य वार्ड नं0 3 ग्राम पंचायत खरशाली, विकास खण्ड छौहारा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) तथा खण्ड (ण) की ओर आकृष्ठ किया जाता है, जो निम्नत: है :—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिये निरर्हित होगा :—

(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है, परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित संतान हैं, जब तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और संतान नहीं होती।

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000(2000 का अधिनियम संख्यक 18) जोकि 8 जून, 2001 से लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है, अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व 2 या 2 से अधिक संतान है तथा 8-6-2001 के पश्चात् और अतिरिक्त संतान पैदा होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, छौहारा ने अपने पत्र संख्या 99/3574, दिनांक 8-4-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके दिनांक 5-2-2004 को तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई, जिसका इन्दराज ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-25 पर दिनांक 7-2-2004 को दर्ज है, जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1997 की धारा 122(ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है।

अत: मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122(2) तथा 131(2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्री केशव राम, सदस्य वार्ड

नं0 3 ग्राम पंचायत खरशाली को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिलिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तत करें कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर ग्राम पंचायत खरशाली के वार्ड नं0 3 से सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त।

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 14 जून, 2004

संख्या एस0 एल0 एन0-3-92(पंच)/92-III-4304-09.—खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने अपने कार्यालय पत्र संख्या के0 जी0 बी0 पंच/04 (प0 पदा0)-248 दिनांक 24-5-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड से श्रीमती सत्या पत्नी श्री राम स्वरूप, वार्ड पंच, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत चायल, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का निधन दिनांक 9-5-2004 को हो गया है जिसके फलस्वरूप उसका पद रिक्त हो गया है।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थान को उपरोक्त दर्शाई गई तिथि में रिक्त घोषित करता हूं।

सोलन, 14 जून, 2004

संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-4298-4303.—यह कि श्री गोपाल चन्द, सदस्य, ग्राम पंचायत जाडली, वार्ड नं0 4, विकास खण्ड सोलन, हिमाचल प्रदेश के 8 जून, 2001 के उपरान्त दिनांक 16-1-2004 को एक अतिरिक्त तीसरी सन्तान पैदा होने के फलस्वरूप उन्हें इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-3112-17 दिनांक 30-4-2004 द्वारा 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे, कि क्यों न उन्हें पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(1) के खण्ड(ण) के अन्तर्गत सदस्य पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए।

क्योंकि श्री गोपाल चन्द, सदस्य, ग्राम पंचायत जाडली, वार्ड संख्या 4, विकास खण्ड सोलन, हिमाचल प्रदेश के कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टोकरण इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारण बताओ नोटिस के बारे में उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और उसमें लगाए गए आरोप सही हैं। पंचायत पदाधिकारियों को दो से अधिक सन्तान होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून, 2001 तक की गई थी। इस प्रकार वर्णित प्रावधान में प्रत्येक पंचायती राज पदाधिकारी, जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है, वह अपने पद पर रहने के अयोग्य है। और वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्री गोपाल चन्द, सदस्य, ग्राम पंचायत जाडली, वार्ड नं0 4, विकास

खण्ड व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का सदस्य पद पर आसीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों के प्रदत्त प्रावधान के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अधीन प्राप्त हैं श्री गोपाल चन्द, सदस्य, ग्राम पंचायत जाडली, वार्ड नं0 4, विकास खण्ड व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को तत्काल सदस्य पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131(1) के प्रावधान के अनुपालना में ग्राम पंचायत जाडली, वार्ड नं0 4, विकास खण्ड सोलन, हिमाचल प्रदेश के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

कारण बताओ नोटिस

सोलन, 16 जून, 2004

संख्या एस0 एल0 एम0-4-92(पंच)/2000-4328-32.—यह कि ग्राम पंचायत घड़सी द्वारा निर्माण पक्का रास्ता गम्बरोल खड्ड से च्यावणी भट्टान सम्बन्धित शिकायत की जांच रिपोर्ट जो खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर से उनके पत्र संख्या डी0 बी0 डी0 (पंच)-शिकायत-2003-004-3420, दिनांक 18-12-2003 के साथ इस कार्यालय में प्राप्त हुई है, के अनुसार उक्त रास्ता निर्माण हेतु ग्राम पंचायत घड़सी को खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर, द्वारा ई0 ए0 एस0 के अन्तर्गत मु0 35,000/- रु0 वर्ष 2001 में स्वीकृत हुआ था। जिसमें से मु0 34,300/- रु0 ग्राम पंचायत घड़सी को उक्त कार्य निर्माण हेतु दो किस्तों में दिया गया था। जांच रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई, जिससे रास्ता टूट गया। तकनीकी सहायक की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार कार्य का मूल्यांकन भी मु0 31,016/- रु0 का आंका गया है, जो कि कार्य पर किए गए व्यय से मु0 3,284/- रु0 कम है, जिसके लिए प्रधान ग्राम पंचायत घड़सी, उत्तरदायी है।

अतः इससे पूर्व कि प्रधान, ग्राम पंचायत घड़सी, के विरुद्ध हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, कि वह अपना स्पष्टिकरण इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित